नियम 110 : न्यायालय अधिकारी द्वारा प्रविष्टियां करना

न्यायपीठ द्वारा आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद, न्यायालय अधिकारी मामले के फाइल पर ऐसे आदेश की तारीख, निपटान की प्रकृति और आदेश सुनाने वाली न्यायपीठ के गठन के संबंध में आवश्यक पृष्ठांकन करेगा और वह न्यायालय डायरी में भी आवश्यक प्रविष्टियां करेगा, जिसमें उसके द्वारा रखे गए **जीएसटीएटी सीडीआर–02** में विनिर्दिष्ट सभी सूचना शामिल होगी।